तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 175/2014 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2014/00154)

अनवानः

1. मामराज पुत्र श्री गंगाराम अकवाम कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. लिक्ष्मणराम पुत्र श्री गंगाराम अकंवाम कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. सजना देवी पुत्री गंगाराम पत्नी श्योपतराम जाति कुम्हार निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहिनी देवी पुत्री गंगाराम पत्नी गिरधारी लाल, जाति कुम्हार निवासीकरड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कान्ही देवी पुत्री गंगाराम पत्नी जयप्रकाश जाति कुम्हार निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. रोही बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

21.1.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का देहांत दिनांक 21.12.2018 को हो गया है तथा 90 दिवस की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी है। अभिभाषक अपीलांट को भी उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.04.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांट का देहांत दिनांक 21.12.2018 को हो गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरांत भी अपीलांट के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाहीं नहीं की है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट Abate हो जाने के कारणं इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर